तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व अहकाम जो हुक्म की ... में जारी
14-6-19	पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/प्रतिवादी/अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष उपस्थित हैं/अनुपस्थित है। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी भ्रमण पर है/अवकाश पर हैं/अन्य कार्यों में व्यस्त हैं/का स्थानांतरण हो गया है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 26-6-19 को पेश हो। रीडर	
26-6-19	पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/प्रतिवादी/अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष उपस्थित हैं/अनुपस्थित है। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी भ्रमण पर है/अवकाश पर हैं/अन्य कार्यों में व्यस्त हैं/का स्थानांतरण हो गया है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 10-7-19 को पेश हो। रीडर	
10-7-19	पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/प्रतिवादी/अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष उपस्थित हैं/अनुपस्थित है। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी भ्रमण पर है/अवकाश पर हैं/अन्य कार्यों में व्यस्त हैं/का स्थानांतरण हो गया है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 18-7-19 को पेश हो। रीडर	
18-7-19	वकील उभयपक्ष उप० हो वादी साक्ष्य प्रतिवादी पत्रावली दि० 29-7-19 को पेश हो	
29-7-19	वकील उभयपक्ष उप० हैं। उभयपक्ष वादी लुकमान व प्रतिवादी अब्दुल हकीम उपस्थित हैं। पक्षकारान राजीनामा अनुसार दावा निर्णीत किए जाने पर सहमत हैं। अतः दावा वादी डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली में शामिल किया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	लुकमा[illegible] [illegible]

निर्णय न्यायालय श्री विजेन्द्र कुमार मीना, आर०ए०एस०, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
84/2018	8.8.2018	29.7.2019

लुकमान पुत्र जहूर, बंजारा मुसलमान निवासी अलीगंज तहसील गंगापुर सिटी
---वादी

बनाम

1. अब्दुल हकीम पुत्र जहूर,बंजारा मुसलमान नि0 अलीगंज तह. गंगापुर सिटी
2. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील गंगापुर सिटी ---प्रतिवादीगण

दावा घोषणां खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :-श्री सतीश कुमार शर्मा, एडवोकेट, वादी की ओर से
श्री प्रकाश चन्द शर्मा, एडवोकेट, प्रतिवादी नं0 1 की ओर से

निर्णय

वादी ने वादपत्र इस आशय का पेश किया है कि भूमि ख0नं0 649 रकबा 0.75 है0 ग्राम खूंटलासलोना की खातेदारी नजीरन पत्नी स्व0 उम्मेद जाति मुसलमान बंजारा निवासी अलीगंज के नाम दर्ज है। नजीरन लाऔलाद फौत हो चुकी है जिसके वारिस वादी व प्रतिवादी संख्या 1 हैं। सजरे के अनुसार काडू के दो पुत्र जहांगीर व उम्मेद हुए जो दोनों की फौत हो चुके हैं। जहांगीर के एक पुत्र चांद व चांद के एक पुत्र जहूर हुआ जो फौत हो चुके हैं। जहूर के दो पुत्र लुकमान व अब्दुल हकीम हैं। दूसरी ओर उम्मेद लाऔलाद फौत हुआ व उसकी पत्नी नजीरन रही जो भी लाऔलाद फौत हो चुकी है। इस प्रकार अब नजीरन के वारिस वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 है तथा नजीरन की छोडी हुई भूमि में दोनों का समान रूप से 1/2, 1/2 हिस्सा है। पिछले कुछ समय से प्रतिवादी संख्या 1 की नियत में बदलाव आ गया है तथा वह वादी को काश्त करने में बाधा उत्पन्न करने लगा है । दिनांक 26.7.2018 को प्रतिवादी ने धमकी दी है कि वह भूमि को किसी ऐसे व्यक्ति को विक्रय कर देगा जो वादी को इस भूमि से बिल्कुल हटाकर कब्जा कर लेगा। इसलिए वादी को यह दावा प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। अतः दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस प्रकार डिक्री फरमाया जावे कि भूमि ख0नं0 649 रकबा 0.75 है0 ग्राम खूंटला सलोना में वादी को हिस्सा 1/2 व प्रतिवादी संख्या 1 को हिस्सा 1/2 का काश्तकार घोषितफरमाया जावे। इसी अनुसार समस्त राजस्व अभिलेख में इन्द्राज दुरूस्ती फरमाई जावे। वर्तमान इन्द्राज हजफ फरमाए जावें। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे वादी को उसके

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

हिस्से 1/2 की भूमि के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न न करें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 2 बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं हुए।

प्रतिवादी नं0 1 ने अपने जबाब में वादी के दावे को स्वीकार करते हुए वादी का दावा डिक्री करने का निवेदन किया है।

दिनांक 12.10.2018 को वादी लुकमान एवं प्रतिवादी अब्दुल हकीम ने न्यायालय में उपस्थित होकर एक राजीनामा प्रस्तुत किया जो तस्दीक किया जाकर पत्रावली में शामिल किया गया। राजीनामे में पक्षकारों ने अंकित किया है कि उनके मध्य पांच आदमियों के समझाने से राजीनामा हो गया है जिसके अनुसार भूमि ख0नं0 649 रकबा 0.75 है0 ग्राम खूंटला सलोना में वादी का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी नं0 1 का 1/2 हिस्सा है तथा इसी अनुसार पक्षकार मौके पर काबिज हैं। इसलिए इसी अनुसार उक्त विवादित भूमि की खातेदारी वादी लुकमान पुत्र जहूर हिस्सा 1/2 व प्रतिवादी नं0 1 अब्दुल हकीम पुत्र जहूर हिस्सा 1/2 दर्ज कर दी जावे तथा इसी अनुसार दावे का निस्तारण कर दिया जावे।

वादपत्र के समर्थन में वादी ने नकल जमाबंदी सं0 2070 से 2073 प्रदर्श–1, सरपंच ग्राम पंचायत अहमदपुर द्वारा प्रदत्त सजरा प्रदर्श–2, प्रस्तुत किए हैं एवं बयान वादी लुकमान, गवाह शहजाद, गवाह गफ्फार के बयान कराए हैं।

बहस विद्वान वकील उभयपक्ष सुनी गई।

उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण ने राजीनामा अनुसार दावा डिक्री कर पक्षकारों के नाम भूमि दर्ज करने का निवेदन किया है।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। नकल जमाबंदी सं0 2070 से 2073 प्रदर्श–1 के अनुसार वादग्रस्त भूमि नजीरन पत्नी स्व0 उम्मेद की खातेदारी में दर्ज है। पत्रावली पर उपलब्ध मृत्यु प्रमाण पत्र के अनुसार नजीरन की मृत्यु दिनांक 27.9.1990 को हो चुकी है। सरपंच ग्राम पंचायत खूंटला सलोना द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र प्रदर्श–2 के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी नं0 1 मृतक नजीरन के वारिस हैं। गवाह पी0डब्लू0 2 शहजाद व पी0डब्लू0 3 गफ्फार के बयान अनुसार मृतक नजीरन के वारिस वादी एवं प्रतिवादी नं0 1 ही हैं तथा इनका ही भूमि पर कब्जा काश्त है। अतः नजीरन के वारिस होने के नाते वादी एवं प्रतिवादी नं0 1 वादग्रस्त भूमि की खातेदारी अपने नाम दर्ज कराने के अधिकारी हैं।

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

लुकमान बनाम अब्दुल हकीम वगैरा, दावा

(3)

आदेश

अतः पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत राजीनामा अनुसार वादी का वाद डिक्री किया जाकर भूमि ख0नं0 649 रकबा 0.75 है0 ग्राम खूंटलासलोना का वादी लुकमान को 1/2 हिस्से का एवं प्रतिवादी नं0 1 अब्दुल हकीम को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इस भूमि के वर्तमान इन्द्राज निरस्त किए जाकर भूमि उपरोक्तानुसार वादी एवं प्रतिवादी नं0 1 की खातेदारी में दर्ज की जावे। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राज दुरूस्ती की जावे। पर्चा डिक्री जारी किया जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.7.2019को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(विजेन्द्र कुमार मीना)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

डिकरी व मुकददने इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6–जाब्ता दीवानी)
(Civil Proceede Code, Appendix D-1)

Judi/Civil
Part IV-10

बअदालत उप जिलाकलेक्टर मुकाम गंगापुर सिटी
इजलास विजेन्द्र कुमार मीना, आर0ए0एस0

उनवान

लुकमान पुत्र जहूर, बंजारा मुसलमान निवासी अलीगंज तहसील गंगापुर सिटी
——वादी

बनाम

1. अब्दुल हकीम पुत्र जहूर,बंजारा मुसलमान नि0 अलीगंज तह. गंगापुर सिटी
2. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील गंगापुर सिटी ——प्रतिवादीगण

दावा घोषणां खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. – 84/2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री सतीश कुमार शर्मा, एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई श्री प्रकाश चन्द शर्मा, एडवोकेट मुद्दायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत राजीनामा अनुसार वादी का वाद डिक्री किया जाकर भूमि ख0नं0 649 रकबा [illegible] है0 ग्राम खूंटलासलोना का वादी लुकमान को 1/2 हिस्से का एवं प्रतिवादी नं0 1 अब्दुल हकीम को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इस भूमि के वर्तमान इन्द्राज निरस्त किए जाकर भूमि राजीनामानुसार वादी एवं प्रतिवादी नं0 1 की खातेदारी में दर्ज की जावे। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राज दुरूस्ती की जावे।

खर्चा डिक्री आज दिनांक 29.7.2019 को जारी किया गया ।

(विजेन्द्र कुमार मीना)
उप जिलाकलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दायलह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा					
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प कागज सबूत			स्टाम्प पर्ची		
महनताना वकील			महनतानावकील पर		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय			बाबत इजराय		
हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफर्रिक			मुतफर्रिक		
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified
Digitally signed by Vijendra Kumar Meena
Date: 2019.11.20 17:31:08 IST
Reason: SelfAttested
Location: